

## राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-30/2017(खण्ड)

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,  
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम) के विभिन्न घटकों सहित कुल रूपये 6123.80 लाख (एकसठ करोड़ तेइस लाख अस्सी हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र-योजना कार्यान्वित है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम) के विभिन्न घटकों सहित कुल 9140.00 लाख (एकानवे करोड़ चालीस लाख) का उदव्यय प्राप्त है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का सिर्फ 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम) के विभिन्न घटकों हेतु रूपये 3016.20 लाख (तीस करोड़ सोलह लाख बीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 24 दिनांक 08.04.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 के आलोक में शेष 6123.80 लाख (एकसठ करोड़ तेइस लाख अस्सी हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है:-

रूपये लाख में

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	पूर्व में कुल योजना उदव्यय के 33% स्वीकृत राशि	वर्तमान/शेष वर्ष के लिए कुल योजना उदव्यय का 7% स्वीकृत राशि
1	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	0109-31-06	(51-2235021030109)	5530.00	1824.90	3705.10
2	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना- विशेष घटक	0107-31-06	(51-2235027890107)	2810.00	927.30	1882.70
3	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जनजातीय क्षेत्र उप योजना	0123-31-06	(51-2235027960123)	800.00	264.00	536.00
कुल योग 6123.80 लाख (एकसठ करोड़ तेइस लाख अस्सी हजार) मात्र				9140.00	3016.20	6123.80

2. सक्षम कार्यालय के अंतर्गत डी0बी0टी0सेल द्वारा विकसित ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को राशि का हस्तांतरण डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि में से 1(एक) प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण है। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019, 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0-25/टि0 पर दिनांक-05.08.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

8. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0-26/टि0 पर दिनांक-06.08.2019 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्ष, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, माला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल सुरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/

52

पटना-15, दिनांक-

07-08-2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)